

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
11 <sup>04</sup> / <sub>2022</sub>	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अग्रणी के द्वारा श्रावण (0)22(19) उजाहरी का जवाब उत्तुत किया जिसकी एक प्रति वकील अग्रणी को दिलाई गई। जवाब शाह का किया गया। पत्रावली वास्तु बहस श्रावण (0)22(19) उजाहरी दिनांक 05-05-2022 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;">उपस्थित अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	
05 <sup>05</sup> / <sub>2022</sub>	<p>पत्रावली पेश हुई। P.O. हाहब चित्तौड़गढ़ के अग्रणी द्वारा लिखित बहस श्रावण (0)22(19) उजाहरी के अग्रणी को पेश की जावे।</p> <p style="text-align: center;">P.O.</p>	
19 <sup>05</sup> / <sub>2022</sub>	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अग्रणी द्वारा लिखित बहस श्रावण (0)22(19) उजाहरी में उत्तुत की गई। पत्रावली वास्तु बहस व अग्रणी श्रावण (0)22(19) उजाहरी दिनांक 06/06/22 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;">P.O.</p>	
06 <sup>06</sup> / <sub>2022</sub>	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। वकील अग्रणी के विवेक किया कि दोनों पक्षों का आपस राफिनामा हो गया है अतः इस श्रावण में कोई अग्रणी कार्यवाही नहीं पाए है वकील अग्रणी ने राफिनामा हो है।</p>	<p>राफिनामा होने के Not Pressed Bawa</p>

5-11-18

श्री. श्री. श्री. श्री.  
राजेश्वर प्रसाद  
(सं. प्रसाद)

राजस्थान : राजपुर

राजपुर

राजस्थान राज्यपाल कार्यालय  
जयपुर

श्री. प्रसाद द्वारा - 128 के NGA-process किया।  
पत्रावली का आवेदन प्रगणना ले भेजा  
किया गया। वहीच अभी इस प्रोपत्र के कोई  
अंतिम कार्रवाई नहीं-याहें ले व NGA-process  
करने से प्रोपत्र धारा - 128 का प्रोपत्र  
पर कार्रवाई किया जाता है। पत्रावली केवल  
शुमार लेकर नम्बर दे कर की जाकर  
शामिल करता है।

उपखण्ड अधिकारी  
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

राजस्थान राज्यपाल कार्यालय  
(राजपुर)

राजस्थान राज्यपाल कार्यालय  
जयपुर

राजस्थान राज्यपाल कार्यालय  
जयपुर

उपखण्ड नम्बर	दिनांक
10	20/11
20	20
20	20